CIN : U85300PN2022NPL214567

MATOSHRI JAMNABAI JAGANNATH MANDHANI
RELIEF FOUNDATION

मातोश्री जमनाबाई जगन्नाथ मानधनी रिलीफ फाउन्डेशन

(महाराष्ट्र प्रदेश सभा से प्रेरित)

❖फाउन्डेशन का उदेश्य

अल्प आय परिवार को नैसर्गिक आपदा (जैसे भुकंप, बाढ, आगजनी) तथा मानवीय आपदा (जैसे रॅयट, दंगल, बडी चोरी) इन से त्रस्त परिवार को तात्काल मदत देनेकी योजना इस फाउन्डेशन से दी जायेगी। संबंधीत परिवार को रू 10,000 से 50,000 तक की मदत (नॉन रिफंडेबल) दी जायेगी।

❖राशी पाने के नियम

वार्षिक आय रू 3 लाख से कम आय वाले परिवार को उपर कहे मुताबिक आपदा आती है तो संबंधीत जिले के जिलाध्यक्ष अपने पदाधिकारीयों की मिटींग ले कर प्रदेश सभा के पास तत्काल धनराशी की मांग करे। उसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष के सुचनारूप यह फाउन्डेशन उन्हे तात्काल राशी प्रदान करेगा।

दुर्घटनाग्रस्त परिवार की दुकान का इन्श्योरंस अगर है तो, पुलिस पंचनामा, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो के साथ फॉर्म भरकर भेजना होगा। साथ ही आवेदन फॉर्म पर **ABMM जनगणना नंबर** का उल्लेख होना जरूरी है।

आपदाग्रस्त परिवार को यह राशी सहयोग राशी होगी जो उन्हे वापस नही करना पडेगी। अगर भविष्य मे उनकी आर्थीक स्थिती अच्छी होती है तो वे यह राशी फाउन्डेशन को वापस कर सकते है ताकि अन्य लोगों को मदत की जा सके।

❖ **सहायता राशी वितरण**

इस रिलीफ फाउन्डेशन से पहली सहयोगीता राशी रु १०,०००/- नांदेड के एक परीवार को दी गई है।

❖ **अन्य विशेषताये**

समाज पर आपदा की स्थिती कम आये और वह न आये ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। पर अगर आती है तो ऐसे स्थिती मे फाउन्डेशन मे रु. 8 करोड का कॉर्पस फंड जमा होने पर ब्याज की जो राशी आयेगी, वह ब्याज की राशी आपदाग्रस्त परिवारो के लिये उपयोग मे लायी जायेगी। इसके अलावा कुछ राशी का उपयोग हायर एज्युकेशन की स्कॉलरशीप मे देने की योजना बनाने का विचार है। जरूरतमंद विद्यार्थीओंको उच्च शिक्षा की स्कॉलरशीप दे कर उन्हे उच्चविभूषीत करने का प्रयास इसके द्वारा करना है।

समय समय पर नियमों के बदलाव की जरूरत को देखते हुये फाउन्डेशन की मिटींग एवं चर्चा करके बदलाव किये जायेंगें।

कमलकिशोर मालपाणी

सचिव–मातोश्री जमनाबाई जगन्नाथ मानधनी रिलीफ फाउन्डेशन